

1	नाम कर्मचारी	पद	PAN									
2	आय : वित्तिय वर्ष - 2019-2020 में प्राप्त कुल वेतन (कर योग्य सुविधाओं के मुल्य सहित एवं एरियर)									रु.		
3	गृह किराया :	(अ) भास 10(13A) के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता कर की छूट के लिए मान्य									रु.	
		(ब) भास 10(14) के अन्तर्गत भेडिकल अलाउन्स खर्चों के रु. 15000/- तक व ट्रांसपोर्ट अलाउन्स रु. 1600/- प्रति माह अब छूट को प्राप्त नहीं। Differently abled persons (व्यक्तियों के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउन्स रु. 3200/- प्रति माह तक छूट को प्राप्त)									रु.	
		योग 3 (अ + ब)									रु.	
4		शेष (2 - 3)									रु.	
5	(i) मनोरंजन भत्ता भास 16(ii) के अन्तर्गत रु. (ii) व्यावसाय कर भास 16(iii) के अन्तर्गत रु.									योग (1 + ii)	रु.	
6		शेष (4 - 5)									रु.	
7	भास 16(ii) के तहत रु. 50,000/- तक (रु. 50,000/- या वार्षिक तनख्वाह जो भी कम हो) की सेलेरी हैड पर standard deduction की छूट									रु.		
8	सेलेरी से कर योग्य आय									शेष (6 - 7)	रु.	
9	(अ) गृह सम्पत्ति से आय :									(i) स्वयं के उपयोग में शून्य	(ii) प्राप्त किराया	रु.
	(ब) घटाव	30% विदाये तक	गृह ऋण पर ब्याज *	गृह कर					योग 9 (ब)	रु.		
		रु.	रु.	रु.						रु.		
* स्वयं के उपयोग में मकान ऋण पर ब्याज अधिकतम छूट रु. 30,000/- यदि 01-04-1999 से पूर्व निर्माण/खरीद दिनांक 01-04-1999 के बाद किन्तु मकान का निर्माण तीन साल ऋण लेने के साल से खत्म हो जाना चाहिए मकान हेतु गृह ऋण पर ब्याज की अधिकतम छूट रु. 2,00,000/-												
10	कुल शेष - / + [8 एवं 9]									रु.		
11	(अ)	बचत खाते से प्राप्त ब्याज									रु.	
	(ब)	अन्य आय (क्षुधया विपणन अलग दे)									रु.	
		योग 11 (अ) + (ब)									रु.	
12	सकल आय									योग (10 + 11)	रु.	
13	(अ) भास 80C, 80CCC, 80CCD (i) के अन्तर्गत आय की छूट निम्न विनियोग, डिपोजिट में जमा करने पर अधिकतम सीमा रु. 1,50,000/- / 2,00,000/-* विनियोजन तक											
चर्चा	i	राज्य बीमा	रु.	vi	सी.टी.डी. 10/15 वर्ष	रु.	xiv	अंगदगी पेंशन योजना(अधिकतम 10% वेतन (Pay+DA) भास 80CCD(i) के अन्तर्गत	रु.			
	ii	जीवन बीमा प्रीमियम (अ) (बीमित राशि के 20% से अधिक नहीं)	रु.	vii	विशेष प्रतिभूति	रु.	xv	बैंक में 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि की फिक्स्ड डिपोजिट (आयकर अधिनियम के अनुसार)	रु.			
		(ब) (बीमित राशि के 10% से अधिक नहीं यदि पोलिसी 1.4.2012 या उसके बाद की हो तो)	रु.	viii	सामान्य प्रावधानी निधि	रु.	xvi	राष्ट्रीय बचत पर अदत्त ब्याज	रु.			
		(स) यदि व्यक्ति विक्रयार्थ हो (बीमित राशि के 15% से अधिक नहीं यदि पोलिसी 1.4.2013 या उसके बाद की हो)	रु.	ix	सामान्य बीमा	रु.	xvii	सुकन्मा समृद्धि खाता	रु.			
	iii	राष्ट्रीय बचत-पत्र	रु.	x	गू.एल.आई.पी./पी.एल.आई.	रु.	xviii		रु.			
	iv	लोक भविष्य निधि	रु.	xi	गृह ऋण बचत	रु.			रु.			
	v	राष्ट्रीय बचत योजना	रु.	xii	दसूशन फीस (अधिकतम 2 वर्षों का)	रु.			रु.			
				xiii	पेंशन प्लान (भास 80CCD के तहत)	रु.			योग 13(अ) (i से xviii)	रु.		
		(ब) भास 80CCG के तहत Equity Saving Scheme के अन्तर्गत छूट ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होगी जो निवृत्ती हो, उसकी कुल आय रु. 12 लाख से ज्यादा न हो व जिसने इन बात में नोटिफाईड Shares & Securities में निवेश इस वर्ष किया हो जो उसे कुल निवेश के 50% तक की छूट प्राप्त होगी। अधिकतम छूट रु. 25,000 से ज्यादा प्राप्त नहीं होगी। ऐसे शेयरों में कम से कम 3 वर्ष निवेश को खरना होगा।								रु.		
		(स) भास 80CCD (ii) के अन्तर्गत नई पेंशन स्कीम (एम्पीएस) में अंगदान रूपसे 50,000/- की अतिरिक्त छूट								रु.		
									कुल योग 13 (अ) + (ब) + (स)	रु.		
14	कुल आय (12 - 13)									रु.		
कटौतियाँ	(1)	भास 80D के अन्तर्गत चिकित्सा बीमा पर अधिकतम रु. 25,000/- स्वयं, पत्नी एवं बच्चों पर विधे गये व्यय पर (वर्तित वार्षिक के लिये रु. 50,000/-)									रु.	
	(2)	भास 80DD के अन्तर्गत आश्रित विकलांग पर चिकित्सा व्यय अधिकतम रु. 75,000/- (कुल वेतन पर अधिकतम रु. 1,25,000/- दिनांक 1995 के अनुसार)									रु.	
	(3)	भास 80DDB के अन्तर्गत रु. 40,000/- तक चिकित्सा स्वयं एवं परिवार के आश्रितों के लिए किया गया व्यय आयकर अधिनियम में दी गई बीमारियों के लिए सीनियर सिटिजन (60 वर्ष से अधिक) व सुपर सीनियर सिटिजन (80 वर्ष से अधिक) को छूट रु. 1,00,000/- है									रु.	
	(4)	भास 80G के अन्तर्गत पुण्यार्थ संस्थाओं को दिये गये दान पर 50% या 100% वास्तविक भुगतान पर अधिकतम 10% कुल सकल आय का। 80G :- Donation in cash exceeding 2,000 shall not be allowed as deduction									रु.	
	(5)	भास 80GG के अन्तर्गत गृह किराये को छूट अधिकतम रु. 2000/- प्रतिमाह अन्य शर्तों के साथ।									रु.	
	(6)	भास 80GGA के अन्तर्गत अनुमोदित वैज्ञानिक, सामाजिक, सामीण विकास आदि हेतु दिया गया दान।									रु.	
	(7)	भास 80U के अन्तर्गत पूर्णतया शारीरिक विकलांग व अन्धे व्यक्तियों को अधिकतम रु. 75,000/- (कुल वेतन पर अधिकतम रु. 1,25,000/- दिनांक 1995 के अनुसार)									रु.	
	(8)	भास 80E के तहत उच्च शिक्षा के लिये लिए गए ऋण पर चुकाये गये ब्याज की छूट (माना-पिता जो बच्चों के लोन पर ब्याज का भुगतान कर रहे हैं उनको भी)									रु.	
	(9)	भास 80EEA के तहत अपरैडेबल मकान के लोन पर ब्याज की छूट रु. 1,50,000/- तक (i) यदि लोन 01/04/2019 से 31/03/2020 के बीच वित्तिय संस्थानों द्वारा जारी हो। (ii) मकान की कीमत स्टाम्प एक्ट के तहत 4,50,000/- से ज्यादा नहीं हो। (iii) ऐसे लोन पर देय ब्याज रु. 1,50,000/- या वास्तविक जो भी कम हो। (iv) ऐसे कर निर्धारित के पास और कोई रिहायशी मकान ना हो।									रु.	
	(10)	भास 80EEB के तहत Electric Vehicle के खरीद पर लोन पर ब्याज की छूट रु. 1,50,000/- तक (i) लोन 01/04/2019 से 31/03/2023 तक (लिए हुए पर) ले। (ii) लोन किसी वित्तिय संस्था से या NBFC से ले।									रु.	
	(11)	भास 80TTA के तहत बैंक/पोस्ट ऑफिस/कोर्पोरेटिव बैंक से मिले ब्याज की अधिकतम छूट रु. 10,000/- (सीनियर सिटिजन को नहीं)									रु.	
	(12)	भास 80TTB के तहत सीनियर सिटिजन (60 वर्ष से अधिक), सुपर सीनियर सिटिजन (80 वर्ष से अधिक) को बैंक/पोस्ट ऑफिस/कोर्पोरेटिव बैंक के ब्याज पर रु. 50,000/- तक की छूट									रु.	
		योग 15 (1 से 12)									रु.	
16	शुद्ध कर योग्य आय									(14 - 15)	रु.	
		कुल कर योग्य आय (दस रु.के गुणनफल में)									रु.	
17	शुद्ध कर कॉलम संख्या 16 की आय पर (कर गणना के लिए पीछे आयकर दरों की सारणी देखें)									रु.		
18	भास 87A के तहत कर की छूट (कुल कर योग्य आय रु. 5,00,000/- या उससे कम हो तो रु. 12,500/- या वास्तविक कर जो भी कम हो उसकी छूट मिलेगी)									रु.		
19	शेष (17 - 18)									रु.		
20	Health & Education Cess (HEC) 4% आयकर पर कॉलम 19 पर									रु.		
21	योग (19 + 20)									रु.		
22	भास 89 (i) के तहत कर की छूट									रु.		
23	कुल कर (21 - 22)									रु.		
24	आयकर कटौती	जून 2019 तक	सितम्बर 2019 तक	दिसम्बर 2019 तक	जनवरी 2020 तक	फरवरी 2020 तक	अन्य जमा	वर्ष का कुल योग				
		रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.			रु.		
		आयकर देय/वापसी योग्य शेष - / + (23 एवं 24)									रु.	

आयकर गणना सारणी पीछे है।

हस्ताक्षर

क्र. सं.	माह	वेतन जो दिया गया							कटौतियाँ जो की गयी							शुद्ध भुगतान की गई राशि	T.V.No. & Date	दिनांक					
		वेतन	मंहगाई भत्ता	मकान किराया भत्ता	शहरी भत्ता	बोनस	अन्य	योग	GPF/NPS	राज्य बीमा	भारतीय जीवन बीमा	आर पी एम एफ	भवन ऋण	भवन ऋण व्याज	अन्य				अन्य कर	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
योग																							

सामान्य (महिला एवं पुरुष)	कर की दर	कर	वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक वय 80 वर्ष से कम)		वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष या अधिक आयु हेतु)	
			कर की दर	कर	कर की दर	कर
0 - 2,50,000	शून्य		0 - 3,00,000	शून्य	0 - 5,00,000	शून्य
2,50,001 - 5,00,000	5%		3,00,001 - 5,00,000	5%	5,00,001 - 10,00,000	20%
5,00,001 - 10,00,000	20%		5,00,001 - 10,00,000	20%	10,00,001 से अधिक	30%
10,00,001 से अधिक	30%		10,00,001 से अधिक	30%	योग	
योग			योग		योग	

हस्ताक्षर कर्मचारी

हस्ताक्षर आहरण एवं वितरण अधिकारी

नोट :- सरचाज :- 1. 50 लाख से 1 करोड़ की आमदनी पर 10% (मार्जिनल छूट भी लागू है)। 2. 1 करोड़ से अधिक की आमदनी पर 15% (मार्जिनल छूट भी लागू है)।